**अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2021 (GCMS 2021/46) RTI No. 212099458683071 श्री हेमन्त जैन पुत्र नानालालजी जैन निवासी ब्राह्मणों का चौराहा, चारभुजा, पो. चारभुजा तहसील गढबोर, जिला राजसमन्द (राज.) –313333 बनाम अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर**

**27.10.2021**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री हेमन्त जैन उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.03.2021 को पेश की है।

**पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) में "Public Authority" को परिभाषित किया गया है तथा "Public Authority" को हिन्दी भाषा में लोक प्राधिकरण और लोक प्राधिकारी के नाम से बोलते है

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावें।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावें।
4. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावें।
5. उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर रजा0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावे।
6. त्हसीलदार, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority" का नाम उपलब्ध करावे।
7. तहसीलदार, घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण "Public Authority"-का नाम उपलब्ध करावें।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धार 2(e) में "Competent Authority" को परिभाषित किया गया है तथा "Competent Authority" को हिन्दी भाषा में सक्षम प्राधिकारी के नाम से बोलते है

1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण "Competent Authority" का नाम उपलब्ध करावे।

2- उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0 से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण "Competent Authority" का नाम उपलब्ध करा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:32 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रीडर /2020/230 दिनांक 17.02.20201 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख हे कि आप द्वारा बिन्दु संख्या 01 व 02 द्वारा चाही गई सूचना प्रश्न वाचक सूचना जो आपको देय नही है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्न वाचक सूचना देय नही होने के कारण आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
>
> -sd-
> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
> श्रीगंगानगर

**चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.02.2021 को उक्तानुसार दिया जा चुका है।** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजें और फिर ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 17.02.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन** के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(जाकिर हुसैन)**
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:32 IST
Reason: SelfAttested